# निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
# वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 558 / 2024 | 11.07.2024 | 30/5/24 |

धर्मसिंह पुत्र मोदीलाल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर——वादी

बनाम

1. सिब्बू पुत्र गोकल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
2. भगतराम पुत्र मूडया, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील वजीरपुर
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मीना बडौदा जरिए प्रबन्धक

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से

## निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 630 रकबा 0.27 है0, ख0न0 631 रकबा 0.22 है0, ख0न0 775 रकबा 0.20 है0, ख0न0 776 रकबा 0.21 है0, ख0न0 779 रकबा 0.14 है0, ख0न0 780 रकबा 0.13 है0, ख0न0 781 रकबा 0.20 है0, ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 ग्राम मीनाबडौदा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने भूमि क्रय करने के बाद से ही मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है। भूमि ख0न0786 रकबा 0.31 है0, ख0न0 630, 631 मे से 0.11 है0 वादी के हिस्से मे आयी तथा अन्य खसरा नम्बर प्रतिवादीगण के हिस्से मे आये उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने भूमि ख0न0 786 को काफी रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है तथा भूमि ख0न0 786 सम्पूर्ण व ख0न0 630, 631 के 0.11 है0 पर आ[illegible] काबिज [illegible] रहा है। भूमि के सहखातेदारी मे बने रहने से आये दिन डोल[illegible] लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए भूमि विभाजन करने हेतु प्रतिवादी[illegible] से कहा तो प्रतिवादीगण ने तहसील मे चलकर भूमि विभाजन कराने से मना कर दिया। इस कारण यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अ[illegible] वादपत्र प्रस्तुत कर [illegible] है कि भूमि ख0न0 630 रकबा 0.27 है0, ख0न0 631 रकबा 0.22 है0, ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 16:41:40 IST
Reason: SelfAttested

775 रकबा 0.20 है0, ख0न0 776 रकबा 0.21 है0, ख0न0 779 रकबा 0.14 है0, ख0न0 780 रकबा 0.13 है0, ख0न0 781 रकबा 0.20 है0, ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 ग्राम मीनाबडौदा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौखिक विभाजन एवं कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से मे आयी भूमि के कब्जे काश्त मे ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने जबाबदावे मे अंकित किया है कि पूर्व विभाजन एंव धर्मसिंह द्वारा हंसराम पुत्र मूल्या से उसका हिस्सा क्रय करने से पहले से ही भूमि ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 जबाबादार प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जे काश्त मे है। दावे मे अंकित विवादित ख0न0 630 व 631 मे से 0.11 है0 भूमि वादी धर्मसिंह मीना ने हंसराम से क्रय की थी तथा शेष 0.38 है0 मौके पर कब्जे काश्त मे है। खसरा नम्बर 786 मे से 1/4 हिस्सा के खरीदने के पश्चात से ही वादी, प्रतिवादी संख्या 2 को खरीद की आड मे भूमि को नही जोतने के लिए दबाब बनाने लगा और अलग से हिस्सेदारी की मांग करने लगा जबकि वादी अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है। विवादित भूमि कुल रकबा 1.68 है0 मे वादी का धर्मसिंह का हिस्सा 1/4 है जिस पर वह काबिज है तथा शेष भूमि जबाबदारान की है जिस पर वे नियमानुसार एवं मौखिक विभाजन अनुसार काबिज काश्त है। भूमि ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 चाही भूमि है। जिसकी वजह से वादी ने उक्त भूमि को हडपने की नीयत से झूठा दावा प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है। अतः जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 679 ग्राम मीना बडौदा प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर दिनांक 2.2.2026 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से क्रमांक [illegible]/2025/333 दिनांक 23.03.2026 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. धर्मसिंह मीना पुत्र मोदीलाल मीना, मीना सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 631/2 रकबा 0.11 है0, ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 ग्राम मीना बडौदा रहेगी।

2. भगतराम पुत्र मूल्या हि0 1/3 जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/3 बीआरकेजीबी शाखा मीना बडौदा, शिब्बू पुत्र गोकल हि0 2/3 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन 2/3 बीआरकेजीबी शाखा मीना बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 630 रकबा 0.27 है0, ख0न0 631/1 रकबा 0.11 है0, ख0न0 775 रकबा 0.20 है0, ख0न0 776 रकबा 0.21 है0, ख0न0 779 रकबा 0.14 है0, ख0न0 780 रकबा 0.13 है0, ख0न0 781 रकबा 0.20 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.26 है0 ग्राम मीना बडौदा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इस खाते मे दर्ज खातेदारों के नाम बैंक का रहन पूर्व की भॉति दर्ज रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/4/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

( सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

**Judi/Civil**
**Part IV-10**

## डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
## (ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
## (Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर

इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

धर्मसिंह पुत्र मोदीलाल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर——वादी

बनाम

1. सिब्बू पुत्र गोकल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
2. भगतराम पुत्र मूडया, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील वजीरपुर
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा मीना बडौदा जरिए प्रबन्धक

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –558/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री संजय कुमार शर्मा, एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. धर्मसिंह मीना पुत्र मोदीलाल मीना, मीना सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 631/2 रकबा 0.11 है0, ख0न0 786 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है0 ग्राम मीना बडौदा रहेगी।
2. भगतराम पुत्र मूल्या हि0 1/3 जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/3 बीआरकेजीबी शाखा मीना बडौदा, शिब्बू पुत्र गोकल हि0 2/3 जाति मीना सा0देह खातेदार राहिन 2/3 बीआरकेजीबी शाखा मीना बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 630 रकबा 0.27 है0, ख0न0 631/1 रकबा 0.11 है0, ख0न0 775 रकबा 0.20 है0, ख0न0 [illegible] रकबा 0.21 है0, ख0न0 779 रकबा 0.14 है0, ख0न0 780 रकबा 0.13 है0, ख0न0 781 रकबा 0.20 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.26 है0 ग्राम मीना बडौदा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इस खाते मे दर्ज खातेदारों के नाम बैंक का रहन पूर्व की भॉति दर्ज रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/26 को जारी किया गया ।

( सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

( सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested